महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

Pension14/I/10-11/

दिनांक / Dated : Date: 31 .08.2010

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub: Forwarding of Special Seal Authorities regarding grant of Dearness Relief to:

1. Pension/Family pension to Jharkhand Government Pensioners/Family Pensioners @ 35% on Pension/Family Pension with effect from 01.01.2010 (enhanced from 27% to 35%).

Ref : Office of the Accountant General (A&E), Jharkhand, Special Seal Authority No:

1. Pen-III/DR/SSA/2010-11/8861 Dt. 17.08.2010.

* * *

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Jharkhand, in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,
V.V.V. Rama Krishna 31/8/10
Accounts Officer

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा ऐवं हक)
O/o the P.A.G. (A&E)
INWARD
26 AUG 2010
हैदराबाद
प्र. हैदराबाद-500 004
HYDERABAD-500 004

No.Pen-III /DR/SSA/2010-11/8861 Dated: 17/08/10

UNDER SPECIAL AUTHORITY NO-72/10-11

To

Accountant General (A&E), Andhra Pradesh,
Saifabad,
Hyderabad - 500463.

Sub: - Grant of Dearness Relief to Jharkhand Government Pensioners / Family Pensioners @ 35% on Pension/ Family Pension with effect from 01/01/2010 (enhanced from 27% to 35%)

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department Memo No. वि,प्र,-6 A (Dearness Relief)-03/2009/170/ वि,पे. Dated 08/05/2010 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours Faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer /Pen-III

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2412517
E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in

Pen-3/DR Dy No-78 dt. 17/8/10

म॰उ॰म॰ले॰ (भ्लाo) का कार्यालय,
डायरी सं ... Pen-1127 ...
दिनांक ... 17/8/10 ...

(69)

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 01 जनवरी, 2010 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए॰) (बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाएँ सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या – 42/18/2010 पी॰ एण्ड पी॰डब्लू॰(जी॰) दिनांक 31.03.2010 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2010 के प्रभाव से 27% (प्रतिशत) से बढ़ाकर 35% (प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्टभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.01.2010 के प्रभाव से महँगाई राहत 27% (प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 35% (प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

5. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवा निवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन पर किया जायेगा। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। विहित दर पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर लिया जायेगा।

Surin (BK)
SR 16/7

6. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चत्तर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3558/वि॰, दिनांक 08.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत के शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें

Sr. AO/Pen-3

Dy
17/8

क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

8. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-344 (i) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगें। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दिये जायें।

9. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

10. दिनांक 01 जनवरी, 2010 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की आने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति के पश्चात् अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र- 6ए (महँगाई भत्ता) – 03/2009- 170/वि० रांची, दिनांक 08/05/2010

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, हिनु, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।